न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 42/2017

निर्णय दिनांक– 06.08.2019

उनवान

रंगा पुत्र लोडक्या जाति मीना निवासी सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
2. श्योजी छीतर जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
3. कलू पुत्र छीतर जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
4. बबू पुत्र छीतर जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
5. नन्दराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
6. शंकर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
7. ळरिराम पुत्र बालू जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
8. श्रामलाल पुत्र लादू जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक
9. श्रतन पुत्र लादू जाति जाट निवासी देवपुरा खुर्द तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
श्री देवेन्द्र सिंह हाडा वकील प्रतिपक्षीगण

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 140, 161, 173, 272, 293, 295, 337, 339 कुल किता 8 कुल रकबा 11.22 है0 वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थी ने उडद की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थी की उक्त आराजीयात से कोई लेना देना या सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा जबरन लठ के जोर पर उक्त आराजी की डोल तार बाड नष्ट करने व जबरन आराजी मे पानी निकालने व फसल नष्ट करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, , ना फसल नष्ट करे, ना डोल तोडे, ना ही पानी की निकासी करे।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी ख0न0 339 ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा भानपुरा सिंचाई परियोजना मे अवाप्त हो चुकी है तथा प्रार्थी द्वारा इसका मुआवजा भी प्राप्त कर चुका है। उसके बावजूद पार्थी व सहखातेदारान द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त आराजी पर अवैध अतिकमण कर रखा है। जिसको हटाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी उनियारा के यहां पेश किया था। जिसमे श्रीमान द्वारा तहसीलदार उनियारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर श्रीमान तहसीलदार उनियारा व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उनियारा मय प्रशासन के मौके पर जाकर प्रार्थी व अन्य खातेदारान का उक्त खसरा नम्बर एवं अन्य अवाप्त की गई भूमि से उनका अतिकमण हटा दिया गया था। प्रतिपक्षीगण ने कभी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर मजाहेमत बेजा नही की और ना ही काश्त मे बाधा डाली, इस कारण प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:–

नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 140, 161, 173, 272, 293, 295, 337, 339 कुल किता 8 कुल रकबा 11.22 है0 मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिपक्षीगण का कथन है कि आराजी ख0न0 339 भानपुरा सिंचाई परियोजना मे अवाप्त हुई है, परन्तु उनके द्वारा अवाप्त भूमि का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है। यदि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द नही किया गया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को ही अधिक होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रा0 पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 140, 161, 173, 272, 293, 295, 337, 339 कुल किता 8 कुल रकबा 11.22 है0 वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, , ना फसल नष्ट करे, ना डोल तोडे, ना ही पानी की निकासी करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner